

बिहार सरकार
पर्यटन विभाग
संकल्प

विषय:- पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में कुल 10 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर जन-निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के माध्यम से एक पाँच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प सं०- 2572 दिनांक - 27.08.2025 की कंडिका- 5(ख) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

वैशाली जिले के वैशाली में पर्यटन विभाग, बिहार के द्वारा अधिग्रहित कुल 10 एकड़ की भूमि में से 10 एकड़ की भूमि पर पर्यटकों की सुविधा हेतु आधुनिक सुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण पाँच सितारा रिसॉर्ट का निर्माण जन निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के माध्यम से आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुसार कराये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक - 19.08.2025 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद् संख्या- 09 के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

इसके उपरान्त उक्त प्रस्ताव की कंडिका - 05 (ख) में उल्लेखित प्रावधानों में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई तथा संबंधित 10 एकड़ की भूमि में से 05 एकड़ की भूमि पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप एक पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण किये जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् के द्वारा दिनांक- 26.08.2025 को संपन्न बैठक में मद् सं०-21 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी। इस स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प सं०- 2572 दिनांक- 27.08.2025 निर्गत किया गया था।

- उपरोक्त निर्गत संकल्प की कंडिका सं०- 5 (ख) में 10 एकड़ की भूमि में से 05 एकड़ की भूमि पर पाँच सितारा होटल/रिसॉर्ट का निर्माण किये जाने का उल्लेख किया गया है। इस 10 एकड़ के भू-खंड पर आधुनिक सुविधायुक्त



पाँच सितारा रिसोर्ट का निर्माण 05 एकड़ में पाँच सितारा होटल के निर्माण की अपेक्षा एक बेहतर विकल्प है जो पर्यटकों को यात्रा भ्रमण का विशेष अनुभव प्रदान कर सकेगा।

पाँच सितारा होटल मुख्यतः उच्च स्तरीय आवास, आतिथ्य एवं व्यवसायिक सुविधाओं पर केन्द्रित होता है जबकि रिसोर्ट पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण आवासन की सुविधा के साथ-साथ प्राकृतिक एवं मनोरम परिवेश में विश्राम, मनोरंजन, विभिन्न सामाजिक आयोजन, आउटडोर एवं अवकाश संबंधी गतिविधियों तथा विविध पर्यटन अनुभवों की समेकित सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। अवकाश एवं अनुभव आधारित पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाले गंतव्यों में रिसोर्ट की अवधारणा पाँच सितारा होटल से अधिक उपयुक्त है। इन तथ्यों के आलोक में वैशाली जिले के वैशाली में कुल 10 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर एक पाँच सितारा रिसोर्ट का निर्माण किया जायेगा।

3. उपरोक्त कंडिका 02 के अनुरूप विभागीय संकल्प सं०— 2572 दिनांक— 27.08.2025 को इस हद तक संशोधित किया गया है। संकल्प के अन्य प्रावधान यथावत रहेंगे।
4. उक्त के आलोक में पर्यटकों को आधुनिक सुविधायुक्त आवासन तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वैशाली जिलान्तर्गत वैशाली में कुल 10 एकड़ अधिग्रहित भूमि पर जन-निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के माध्यम से एक पाँच सितारा रिसोर्ट का निर्माण एवं संचालन आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी (इनेबलिंग) संशोधन अधिनियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प सं०— 2572 दिनांक — 27.08.2025 की कंडिका— 5(ख) में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव पर दिनांक— 12.10.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०— 18 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।



आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पर्य०वि०(होटल)- 02/2025/प०वि०, पटना दिनांक:-.....

प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/स्थानिक आयुक्त कार्यालय, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- पर्य०वि०(होटल)- 02/2025 ~~31.3.0~~ /प०वि०, पटना दिनांक:-.....~~14.10.2026~~

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि०/निदेशक, पर्यटन निदेशालय/अवर सचिव, ई-गजट कोषांग/आई० टी० मैनेजर, पर्यटन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव,

पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

14/10/2026

